

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.1(223)एमई/ग्रुप-1/17

जयपुर, दिनांक: 13 JUL 2018


संशोधित आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(52)एमई/ग्रुप-1/1983पार्ट दिनांक 23.08.2017 के द्वारा वरिष्ठ प्रदर्शक, कम्प्यूनिटी मेडिसिन (पी. एण्ड एस.एम.) के पद पर नियुक्ति हेतु आदेश जारी किये गए थे, जिसमें सहवन से नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह अंकित हो गया। जबकि नवनियुक्त वरिष्ठ प्रदर्शक हेतु नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/- प्रतिमाह है।

अतः उक्त आदेश क्रमांक प. 1(52)एमई/ग्रुप-1/1983पार्ट दिनांक 23.08.2017 में अंकित नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह के स्थान पर संशोधित कर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/- प्रतिमाह पढ़ा जावे।

आदेश दिनांक 23.08.2017 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आज्ञा से,



(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, राज. जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर/जयपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर/अजमेर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव